आदेश

शासनादेश सं0–1131 / आठ–1–17–08विविध / 2016, दिनांक 11जुलाई 2018 आवास एंव शहरी नियोजन अनुभाग–1 द्वारा निर्गत शासनादेश जो प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अर्फोडेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनो के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन के सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया, गठित कमेटी द्वारा बैठक में निर्णय लिया गया कि नजूल भूमि खाता सं0–43 गाटा संख्या–142,144 मि0 रकबा 27बीघा 13 डिसमिल (बन्दोबस्त दोयम) जिसका (बन्दोबस्त सोयम) गाटा संख्या–135 स्थित मौजा छावनी मो0 सिविल लाइन परगना तहसील व जिला गोण्डा में से 3.00एकड. भूमि प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के निर्माण हेतु आवास विकास परिषद गोण्डा के पक्ष में भूमि आवंटन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। आवंटन के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव आवास एंव शहरी नियोजन अनुभाग–4के शासनादेश संख्या–1252 / आठ –4–2018–137एन / 2013 दिनांक 18–7–2018 द्वारा निःशुल्क नजूल भूमि आवंटित किये जाने हेतु संबंधित जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

अतः उक्त शासनादेशों के अनुकम में नजूल भूमि खाता सं0–43 गाटा संख्या–142,144 मि0 रकबा 27 बीघा 13 डिसमिल (बन्दोबस्त दोयमं) जिसका (बन्दोबस्त सोयम) गाटा संख्या–135 स्थित मौजा छावनी मो0 सिविल लाइन परगना तहसील व जिला गोण्डा में से 3.00एकड. भूमि प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के निर्माण हेतु आवास विकास परिषद गोण्डा के पक्ष में निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन उक्त प्रयोजन हेत नजूल भूमि आवास विकास परिषद को पटटे पर 30–30वर्ष के दो मध्य नवीनीकरण सहित कुल 90 वर्ष की लीज अवधि हेतु एक रूपये की सांकेतिक प्रीमियम पर हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1–प्रश्नगत नजूल भूमि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोग नही किया जायेगा।
2– नजूल भूमि का विभाजन अथवा स्थानान्तरण नही किया जायेगा।
3–प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में भूमि को शासन के आवास एंव शहरी नियोजन / नजूल विभाग को वापस कर दी जायेगी।

(कैप्टेन प्रमान्शु श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी,
गोण्डा।

कार्यालय जिलाधिकारी, गोण्डा।

संख्याः 101 / नजूल विभाग / भू0हस्ता0 / 2018 दिनांकः अगस्त06 ;2018

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1–मुख्य सचिव महोदय,उ0प्र0शासन लखनऊ ।
2–प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव आवास एंव शहरी नियोजन अनुभाग–4 लखनऊ ।
3–आयुक्त देवीपाटन मण्डल गोण्डा ।
~~4–अपर आवास आयुक्त आवास विकास परिषद लखनऊ ।~~
5–अधिशासी अधिकारी ,नगर पालिका परिषद गोण्डा को निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित अभिलेखों में अंकना कर प्रतिलिपि कार्यालय में उपलब्ध करायें ।
6– उप जिलाधिकारी / तहसीलदार, सदर,गोण्डा।

जिलाधिकारी
गोण्डा।

Scanned by CamScanner